न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी — रूक्मणि रियार सिहाग
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
94 / प्रार्थना पत्र / 15	12.05.2015	04.11.2019

सरकार जर्ये तहसीलदार,
इन्द्रगढ (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

मृतक श्रीमती गुलाब कंवर पत्नी अमरलाल जाति ब्राहमण,
निवासी लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी
जर्ये रघु पारीक आ0 बाबूलाल पारीक, जाति ब्राहमण
निवासी लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी

— अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 17(4) राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी की ओर से श्री दिनेश पारीक, एडवोकेट।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 17(4) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 इस न्यायालय में पेशं कर अप्रार्थीयां श्रीमती गुलाब कंवर पत्नी अमरलाल जाति ब्राहमण निवासी लाखेरी को किया गया भूमि आवंटन ख.सं. 107 रकबा 1 बीघा एवं 301 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा (नये ख.सं. 182 रकबा 0.15 हैक्टेयर एवं 413 रकबा 0.19 हैक्टेयर) वाके ग्राम जाडला आदेश दिनांक 31.12.1988 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 22.10.18 को जवाब पेश किया जाकर प्रा0पत्र खारिज किय जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात् बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी ।

जिला कलेक्टर; बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुवे तर्क प्रस्तुत किये कि आवंटित भूमि पर आवंटी का केभी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई। आवंटी फोत हो चुकी है तथा अप्रार्थी रघु पारीक वर्तमान में उक्त आराजी पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। आवंटी उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन शर्तो का उल्लंघन हुवा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आवंटी को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे ।

अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि आवंटन करीब 40 वर्ष पुराना हो चुका है। आवंटन के बाद से आवंटी एवं उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। आवंटी द्वारा बकाया राशि जमा करवाई जा चुकी है। आवंटन पुराना हो जाने से अप्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार बन चुका हैं। आवंटी को नियमानुसार भूमि का आवंटन किया गया है तथा आवंटी की मृत्यु के बाद वारिसान के नाम नामान्तरण तस्दीक किया गया है जिससे भूमि पर कब्जा काश्त होना जाहिर है । अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा जमा राशि की रसीदों की छायाप्रतियां पेश करते हुवे प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया, जिससे जाहिर है कि मिसल संख्या 63/88 पर दिनांक 31.12.88 को अप्रार्थियां श्रीमती गुलाब कंवर पत्नी अमरलाल कौम ब्राहमण निवासी लाखेरी को भूमि खसरा संख्या 107 रकबा 1 बीघा एवं 301 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम जाडला का आवंटन किया गया था। आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होना अवगत कराते हुये तहसीलदार, इन्द्रगढ द्वारा आवंटन निरस्ती के प्रस्ताव भिजवाये गये। प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत नियम 17(4) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 में अंकित है कि आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं गई है। वर्तमान में आवंटी फौत हो चुकी है तथा उक्त आराजी पर रघु पारीक आ. बाबूलाल ब्राहमण निवासी लाखेरी गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। आवंटी के कब्जा काश्त के अभाव में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, ऐसे में आवंटी को किया गया उक्त आवंटन निरर्थक हो जाता है तथा उक्त आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 31.12.88 से अप्रार्थीयां श्रीमती गुलाबकंवर पत्नी अमरलाल जाति ब्राहमण निवासी लाखेरी को भूमि खसरा संख्या 107 रकबा 1 बीघा एवं 301 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा (नये ख.सं. 182 रकबा 0.15 हैक्टेयर एवं 413 रकबा 0.19 हैक्टेयर) वाके ग्राम जाडला का किया गया आवंटन एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार इन्द्रगढ को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 04.11.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2019.11.19 10:54:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: